

नन्ही परी सीमान्त अभियांत्रिकी संस्थान, पिथौरागढ़

प्रशासकीय परिषद् की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त

नन्ही परी सीमान्त अभियांत्रिकी संस्थान, पिथौरागढ़ की प्रशासकीय परिषद् की चतुर्थ बैठक दिनांक 23 सितम्बर, 2019 को सांय 05.00 बजे आई0 आर0 डी0 टी0 सर्वे चौक, देहरादून में आहूत हुई। बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:-

- | | | |
|---------------------------------|---|------------|
| 1. श्री अनिल गोयल | — | अध्यक्ष |
| 2. श्री ओम प्रकाश, आई0ए0एस0 | — | उपाध्यक्ष |
| 3. डॉ0 हरीश पंत | — | सदस्य |
| 4. श्री अनिल चावला | — | सदस्य |
| 5. प्रो0 मनोज दुहान | — | सदस्य |
| 6. प्रो0 नरेन्द्र एस0 चौधरी | — | सदस्य |
| 7. डा0 अहमद इकबाल, आई0ए0एस0 | — | सदस्य |
| 8. प्रो0 अम्बरीष एस0 विद्यार्थी | — | सदस्य सचिव |

विशेष आमन्त्रो:-

1. श्री मुकेश पाण्डेय संयुक्त सचिव, आई0 आर0 डी0 टी0 सर्वे चौक, देहरादून

नोट: प्रशासकीय परिषद् के मा0 सदस्य डॉ0 डी0 एस0 पुण्डीर व्यक्तिगत कारणों से परिषद् की बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सके।

4.1 बैठक में सदस्य सचिव द्वारा प्रशासकीय परिषद् के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सम्मानित सदस्यों का स्वागत।

नन्ही परी सीमान्त इंजीनियरिंग संस्थान, पिथौरागढ़ की प्रशासकीय परिषद् की चतुर्थ बैठक में प्रशासकीय परिषद् के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों का स्वागत परिषद् के सदस्य सचिव द्वारा किया गया तथा प्रशासकीय परिषद् द्वारा संस्थान के विकास कार्य में सहयोग देने हेतु आभार व्यक्त किया गया।

4.2 प्रशासकीय परिषद् की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

प्रशासकीय परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से तृतीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।







4.3 प्रशासकीय परिषद की तृतीय बैठक में लिये गये निर्णय का बिन्दुवार कियान्वयन।

परिषद् की तृतीय बैठक में लिये गये निर्णयों के बिन्दुवार कियान्वयन से प्रशासकीय परिषद् अवगत हुई।

4.4 शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु अनुबंधित शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अनुबंध का विस्तारण :

प्रशासकीय परिषद द्वारा शैक्षणिक कियोकलापों को सुचारू रूप से चलाये जाने हेतु तथा शैक्षणिक कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति ना हो पाने के कारण संस्थान में पूर्व से कार्यरत शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अनुबंध को छः माह हेतु विस्तारित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। साथ ही अनुबन्ध विस्तार किये जाने के 1 माह के उपरान्त भी तीन सहायक प्राध्यापकों 1. श्री जयदीप किशोर, 2. श्री सूर्य प्रताप चौहान तथा 3. सुश्री अनुपा चौधरी द्वारा संस्थान में उपस्थित होकर पठन-पाठन कार्य नहीं किये जाने के कारण उनके अनुबन्ध को निरस्त करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

4.5 उत्तराखण्ड शासन द्वारा संस्थान में सृजित पदों को पुर्नजीवित किये जाने एवं पदों की निरन्तरता बढ़ाये जाने के दृष्टिगत संस्थान में सृजित पदों पर नियुक्ति प्रकिया शुरू करने हेतु अनुमोदन :

प्रशासकीय परिषद द्वारा सृजित पदों के सापेक्ष यथाशीघ्र नियमित नियुक्ति की प्रकिया आरम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

4.6 सुश्री अनुपा चौधरी, सहायक प्राध्यापक, मैनेजमेंट द्वारा आवेदन किये गये आकस्मिक, अवैतनिक एवं मातृत्व अवकाश विषयक :

प्रशासकीय परिषद सुश्री अनुपा चौधरी, सहायक प्राध्यापक, के आकस्मिक एवं अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति से अवगत हुई तथा सुश्री चौधरी के मातृत्व अवकाश पर निर्णय के संबन्ध में निर्देशित किया गया कि प्रकरण उत्तराखण्ड शासन को संदर्भित कर दिया जाय।

4.7 संस्थान के आई0टी0आई0 परिसर से फर्नीचर इत्यादि सामग्री का स्थानान्तरण संस्थान के स्थायी परिसर में किये जाने हेतु अनुरोध :

प्रशासकीय परिषद द्वारा निर्देशित किया गया ऐसे प्रकरण जोकि संस्थान की आन्तरिक कियोकलाप हेतु आवश्यक है उन पर निर्णय संस्थान स्तर पर ही लिये जायें।







4.8 संस्थान में कार्यरत सहायक प्राध्यापक श्री जयदीप किशोर (अनुबंधित) की अनुशासनहीनता की जाँच रिपोर्ट पर निर्णय:

उत्तराखण्ड शासन में संबन्धित द्वारा REPRESENTATION दिये जाने तथा उस पर निर्णय अभी तक लम्बित रहने के कारण प्रशासकीय परिषद द्वारा अगली बैठक में प्रस्ताव रखने का सुझाव दिया गया। साथ ही प्रशासकीय परिषद ने सुझाव दिया कि Representation पर जल्द निर्णय लिये जाने हेतु शासन को अनुरोध प्रेषित कर दिया जाय।

4.9 पुस्तकालय सहायक श्रीमती गीतिका महर के अक्षमता एवं लापरवाही की जाँच रिपोर्ट पर निर्णय:

उत्तराखण्ड शासन में संबन्धित द्वारा REPRESENTATION दिये जाने तथा उस पर निर्णय अभी तक लम्बित रहने के कारण प्रशासकीय परिषद द्वारा अगली बैठक में प्रस्ताव रखने का सुझाव दिया गया। साथ ही प्रशासकीय परिषद ने सुझाव दिया कि Representation पर जल्द निर्णय लिये जाने हेतु शासन को जाँच से सम्बन्धित समस्त रिपोर्ट संलग्न कर अनुरोध प्रेषित कर दिया जाय।

4.10 ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्गत अद्यतन अधिसूचना में दिये गये प्राविधानुसार संस्थान के बॉय-लॉज में संशोधन किये जाने हेतु प्रस्ताव :

प्रशासकीय परिषद द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित प्राविधानो के अनुसार संस्थान के बॉय-लॉज में यथासंशोधन किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।

4.11 TEQIP -III परियोजना के अर्न्तगत कम्प्यूटर सेंटर हेतु कम्प्यूटर सेट एवं फर्नीचर इत्यादि कय किये जाने हेतु प्रस्ताव :


प्रशासकीय परिषद द्वारा TEQIP -III परियोजना के अर्न्तगत कम्प्यूटर सेट एवं फर्नीचर इत्यादि कय किये जाने की सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान की गयी।

4.12 संस्थान के कम्प्यूटर साइंस इन्जी0 विभाग के चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के माइनर प्रोजेक्ट हेतु सामग्री कय किये जाने हेतु प्रस्ताव :

प्रशासकीय परिषद द्वारा कम्प्यूटर साइंस इन्जी0 विभाग के चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के माइनर प्रोजेक्ट हेतु सामग्री कय किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

4.13 संस्थान के इलैक्ट्रीकल इन्जी0 विभाग में 'Electrical Machine Design' विषय में कार्यशाला आयोजित किये जाने हेतु प्रस्ताव :

प्रशासकीय परिषद द्वारा छात्रों/छात्राओं के बौद्धिक विकास के लिये उक्त विषय में कार्यशाला आयोजित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।







4.14 इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग विभाग हेतु 'पावर सिस्टम सॉफ्टवेयर' कय किये जाने हेतु प्रस्ताव ।

प्रशासकीय परिषद द्वारा पावर सिस्टम सॉफ्टवेयर कय किये जाने की सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान की गयी।

4.15 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य बिन्दु।


4.15.1 प्रशासकीय परिषद द्वारा संस्थान में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों की संख्या में हो रही कमी पर चिन्ता व्यक्त की गयी। दो पाठ्यक्रमों बी०टेक० सिविल इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में कम प्रवेशित छात्रों की संख्या तथा उनमें रोजगार के अवसरों की कमी के दृष्टिगत आगामी सत्र से इन पाठ्यक्रमों को बन्द करने तथा ए०आई०सी०टी०ई० से बन्द किये जाने की स्वीकृति लेने की अग्रिम कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन दिया गया।

4.15.2 प्रशासकीय परिषद द्वारा संस्थान में संचालित इंजीनियरिंग के पारम्परिक पाठ्यक्रमों के इतर वर्तमान समय एवं भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप अन्य पाठ्यक्रमों जोकि उद्योग जगत की मांग को पूरा करने में सक्षम व रोजगारपरक हों तथा संस्थान में उपलब्ध संरचनात्मक अवस्थापना सुविधाओं इत्यादि का समुचित उपयोग किया जा सके, पर भी विचार किये जाने का सुझाव दिया गया।


4.15.3 ए०आई०सी०टी०ई० के पत्र AICTE ATAL-HQ/036 दिनांक 29.08.2019 के दृष्टिगत प्रशासकीय परिषद द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि संस्थान नवीन पाठ्यक्रमों यथा 1. इंटरनेट ऑफ थिंग 2. साइबर सेक्योरिटी आदि पाठ्यक्रमों जोकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भी शीर्ष प्राथमिकता पर रखे हैं, को आधार बनाते हुए नये पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने पर कार्ययोजना बनायी जाये।

4.15.4 संस्थान में वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों, उपलब्ध संरचनात्मक अवस्थापना सुविधाओं तथा मानव संसाधन के आधार पर संस्थान को एक Centre of Excellence के रूप में विकसित किये जाने तथा इस कार्य को विचार-विमर्श कर मूर्तिरूप दिये जाने हेतु एक राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय संगोष्ठी आयोजित किये जाने का प्रशासकीय परिषद द्वारा सुझाव दिया गया।

मा० अध्यक्ष महोदय को आभार व्यक्त के साथ बैठक का समापन हुआ।



(प्रो० अम्बरीष एस० विद्यार्थी)
निदेशक एवं सदस्य सचिव



(श्री ओम प्रकाश, I.A.S.)
उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद



(श्री अनिल गोयल)
अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद